न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, गंगापुर सिटी
पीठासीन अधिकारी–रामकिशोर मीना

अपील संख्या– 85/22

तारीख रज्जू–05/12/22

1 रामस्वरूप पुत्र रामजीलाल उम्र 60 साल जाति मीना निवासी खेडली तहसील वजीरपुर।

–––अपीलान्ट

बनाम

1. शिवचरण पुत्र जिन्सी
2. पवन पुत्र शिवचरण
3. पंकज पुत्र शिवचरण
4. हरीश पुत्र गोपाल
5. सूरजबाई पत्नि गोपाल
6. नमो पुत्र किरोडी
7. सियाराम पुत्र जिन्सी
8. रामदास पुत्र सियाराम
9. किरोडी पुत्र जिन्सी
10. शिवलहरी पुत्र छोटेलाल
11. मगनबाई पत्नि शिवचरण

–रेस्पोडेन्ट्स

निर्णय दिनांक– 13/11/2024

अपीलान्ट ने यह अपील न्यायालय न्यायालय तहसीलदार बजीरपुर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 183 बी राज0 टीनेसी एक्ट उनवानी रामस्वरूप बनाम शिवचरण वगै0 में पारित निर्णय दिनांक 3.11.2022 के विरूद्ध प्रस्तुत की है। उक्त निर्णय द्वारा तहसीलदार बजीरपुर ने प्रार्थी (अपीलार्थी) द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बेदखली अन्तर्गत धारा 183 (बी) आर0टी0एक्ट अस्वीकार किया जाकर खारिज किया है, साथ ही अपीलान्ट ने निर्णय दिनांक 03.11.2022 निरस्त करने हेतु निवेदन किया है।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेन्ट्स की तलबी जरिये सम्मन की गई। रेस्पों0 जरिये अधिवक्ता उपस्थित होने पर तथा अदालत मातहत की पत्रावली प्राप्त होने पर मूल बहस सुनी गई।

वकील अपीलान्ट ने दौराने बहस कथन किया कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि ख0नं0 1268 रकबा 0.17 है0 ग्राम खेडली में स्थित है, जिससे अप्रार्थीगण का कोई सम्बन्ध नहीं है। परन्तु अप्रार्थीगण प्रार्थी को ... रहे है कि तुम्हारे पूर्वजों ने करीब 80 साल पहले हमारे पूर्वजों से रूपये ... र ... थे उसकी एवज में हम तुम्हारी खातेदारी भूमि पर कब्जा करेंगे। दिनांक 30.0...8 को प्रार्थी व प्रार्थी के परिवारजन अपने खेतों पर झाड काट रहे थे ... हाथों में लाठी ... डे लेकर एक राय होकर मौके पर ... दोनों ख0नं0 की भूमि ... जोत लगा दी। अप्रार्थीगण द्वारा गलत रूप से 80 साल पुराने किसी हिसाब की एवज में प्रार्थी की जमीन पर दिनांक 30.05.2018 को कब्जा कर लिया है, जिसे हटाया जाना आवश्यक है। अदालत मातहत ने इस तथ्य पर कतई गौर नहीं फरमाया कि उक्त भूमि अपीलार्थी की खातेदारी में रेवन्यु रिकार्ड में दर्ज है। वर्तमान में गिरदावरी को कब्जे का आधार नहीं माना जा सकता है। अदालत मातहत द्वारा मात्र गिरदावरी में दर्ज गलत इन्द्राज आधार पर अपीलार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज करने में कानूनी भूल की है। अदालत

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Kishor Meena
Date: 2025.08.21 18:02:24 IST
Reason: SelfAttested

Gcms

मातहत ने इस तथ्य पर कतई गौर नहीं फरमाया कि अप्रार्थीगण द्वारा भी अपने जवाब में जाहिर किया है कि वो मात्र अपने किसी 80 साल पुराने कर्जे के आधार पर उक्त भूमि पर कब्जा कर रहे है तथा उक्त कर्जे की एवज में ही उक्त वाद आरजीयात भूमि रहन रखी गयी थी तो विधि का यह सुस्पष्ट सिद्धान्त है कि रहन वय की अवधि या कर्ज की अवधि मात्र तीन साल की होती है मात्र रहन या कर्जे के आधार पर अपीलार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज करने में अदालत मातहत ने कानूनी भूल की है। अदालत मातहत ने इस तथ्य पर भी कतई गोर नहीं फरमाया कि रेवन्यु रिकार्ड जमाबन्दी संवत् 2035–2038 एवं 2039–2042 तथा 2031–2034 में रेवन्यु कर्मचारियों की गलती की वजह से रहन दर्ज हो गयी है। जबकि अन्य रेवन्यु रिकोर्ड में उक्त भूमि रहन दर्ज नहीं है। राजस्व अभिलेख में उक्त भूमि अपीलार्थी की खातेदारी भूमि है तथा कर्जे के आधार पर रेस्पोडेन्टान को अपीलार्थीगण की खातेदारी भूमि पर कब्जा करने का कोई अधिकार नहीं है, साथ ही वकील अपीलार्थी ने अदालत मातहत के निर्णय दिनांक 03/11/2022 को निरस्त फरमाया जाकर रेस्पोडेन्टान को अपीलार्थी की खातेदारी भूमि खं0नं0 1268 रकबा 0.17 है0 स्थित ग्राम खेड़ली से बेदखल करने हेतु निवेदन किया है।

वकील रेस्पोडेन्ट ने दौराने बहस निवेदन किया कि प्रार्थी के पूर्वजों ने अप्रार्थीगण के पूर्वजों से रूपया उधार लेकर आराजी हाल खं0नं0 1267 रकबा 0.16 है0, खं0नं0 1268 रकबा 0.17 है0 को गिरवी रखा था और उसी समय भूमि पर कब्जा अप्रार्थीगण के पूर्वजों का करा दिया था। तत्समय जिसका कब्जा होता था, पटवारी उसी की गिरदावरी भरता था। इसी के तहत प्रार्थीगण के पूर्वज जिन्सी, जैना पुत्रान गुलवा का नाम गिरदावरी सं0 2008 से 2011 में दर्ज है। जिसके अनुसार उस समय अप्रार्थीगण के पूर्वजों का कब्जा था। लेनदेन की लिखावट भी उसी समय की मोजूद है। जिसकी प्रति न्यायालय हाज की पत्रावली संलग्न है। इसके अलावा प्रार्थी ने दिनांक 07/03/2021 को पुलिस थाना पीलोदा पर अप्रार्थीगण द्वारा उक्त वाद आरजीयात की फसल चोरी की एक तहरीर दी जिसकी जांच रिपोर्ट में भूमि पर कब्जा रामस्वरूप नहीं पाया गया। इससे साबित है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र क्षूंठे तथ्यों पर आधारित है, साथ ही वकील रेस्पोडेन्ट ने अदालत मातहत द्वारा पारित निर्णय दिनांक 03.11.2022 को यथावत रखने हेतु निवेदन किया है।

वकील उभय पक्ष की बहस सुनी गई उस पर मनन किया गया व अदालत मातहत की पत्रावली का अवलोकन किया गया। विवादित आराजीयात अपीलार्थी की खातेदारी भूमि है। वकील रेस्पोडेन्ट ने दौराने बहस अवगत कराया कि अपीलार्थी के पूर्वजों ने अप्रार्थीगण के पूर्वजों से रूपया उधार लेकर आराजी हाल खं0नं0 1267 रकबा 0.16 है0, खं0नं0 1268 रकबा 0.17 है0 को गिरवी रखा था। लेकिन रेस्पोडेन्ट पक्ष द्वारा उक्त तथ्य के संबंध में कोई प्रलेख/दस्तावेज न्यायालय हाजा में प्रस्तुत नहीं किया है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 183 ख के अर्न्तगत अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति के सदस्य द्वारा धारित भूमि पर अतिचारियों की संक्षिप्त कार्यवाही द्वारा बेदखली में अदालत मातहत द्वारा अपीलार्थी खातेदार होते हुए भी तथा अतिक्रमी (रिस्पोडेन्ट) द्वारा विधिपूर्ण प्राधिकार के कब्जा किया हुआ है अथवा नहीं तथ्यों/राजस्व अभिलेख की जांच किए बिना ही अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार की गई है जो न्यायोचित प्रतीत नहीं होती है। ऐसी स्थिती में उक्त प्रकरण तहसीलदार वजीरपुर को इस निर्देश के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि तहसीलदार वजीपुर उभय पक्षों को सुनकर युक्ति युक्त नियमानुसार पुनः नये सिरे से निर्णय पारित करे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Kishor Meena
Date: 2025.08.21 18:02:24 IST
Reason: SelfAttested

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार कर तहसीलदार वजीरपुर को पुनः सुनवाई हेतु प्रति प्रेषित की जाती है तथा अदालत मातहत द्वारा पारित निर्णय दिनांक 03/11/2022 निरस्त किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 13/11/2024 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रामकिशोर मीना)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

अतिरिक्त जिला कलेक्टर एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
गंगापुर सिटी

Signature Not Verified

Digitally signed by Ram Kishor Meena
Date: 2025.08.21 18:02:24 IST
Reason: SelfAttested